न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक/राजस्व कोर्ट/2021/994 दिनांक 14/07/2021

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 73/2021 अनवान ग्राम पंचायत आलमसर जरिये सरपंच बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन अन्तर्गत धारा 131, 136 में पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन आवेदन सं. 73/2021 अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act में निर्णय दिनांक 14.07.2021 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 73/2021

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम॥, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थी – 1.ग्राम पंचायत आलमसर जरिए सरपंच
पंचायत समिति धनाऊ, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री हुकमसिंह गोदारा**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 14.07.2021

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत आलमसर की भूमि मौजा आलमसर, पटवार क्षेत्र आलमसर, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 1113/406 रकबा 06.00 बीघा गै.मु.श्मशान की आई हुई है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर के आदेश क्रमांक प12(424)(1)राज/2015/3528 दिनांक 20.04.2017 के तहत खसरा सं. 798/406 किस्म गै.मु.गोचर से रकबा 06.00 बीघा भूमि श्मशान हेतु आवंटित की गई जिसका नवसृजित खसरा सं. 1113/406 रकबा 06.00 बीघा गै.मु. श्मशान राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:23 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम पंचायत आलमसर के सार्वजनिक श्मशान हेतु खसरा सं. 798/406 गै.मु.गोचर में से रकबा 06.00 बीघा का आवंटन किया गया उसकी तरमीम आवंटन आदेश एवं नामान्तरकरण

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पुश्त पर अंकित नक्शे को दरकिनार करते हुए अपनी मनमर्जी अनुसार गलत तरमीम अंकित कर दी । नक्शा ट्रेस में जो तरमीम की गई है वो जमीन विद्युत विभाग के जीएसएस एवं विद्यालय परिसर एवं उसके खेल मैदान तथा रहवासी ढाणी (आबादी) के पास की गई जो गलत की गई। मौके पर शमसान की भूमि नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार उक्त तरमीम गलत होने से खारीज कर पुनः मौके एवं कब्जा अनुसार सलंग्न परिष्ठ 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे । जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब करते हुए तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया। विप्रार्थी के नोटिस बाद तामिल प्राप्त एवं तहसीलदार से तरमीम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की।

वकील प्रार्थी ने पत्रावली पेशी तारीख पर लेकर आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसकी सूचना विप्रार्थी को दी गई। प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया । जिससे स्पष्ट होता है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर के आदेश क्रमांक प12(424)(1)राज/2015/3528 दिनांक 20.04.2017 के तहत खसरा सं. 798/406 किस्म गै.मु.गोचर से रकबा 06.00 बीघा भूमि शमसान हेतु आवंटित की गई जिसके आधार पर ग्राम पंचायत आलमसर का नामान्तरकरण सं. 1635 दिनांक 29.05.2017 के द्वारा खसरा सं. 1113/406 रकबा 06.00 बीघा गै.मु. श्मशान राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। आवंटन प्रस्ताव में सलंग्न नक्शा परिशिष्ठ 'A' में दर्शाये बरंग आसमानी अनुसार चौहटन [illegible] करीब दूर खसरा सं. 410 की माठ पर 60 गट्ठा x 40 गट्ठा आंव[illegible] किया गया एवं इसी अनुसार परिशिष्ठ 'B' नामान्तरकरण पुश्त पर नजरी नक्शा खसरा सं. 1113/406 दर्शाया गया परन्तु लट्ठा ट्रेस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

परिशिष्ठ 'सी' वर्तमान नक्शा किश्तवार में दर्शित बरंग लाल स्थान पर चौहटन बाखासर रोड़ से 3 जरीब दूर उक्त खसरा सं. 1113/406 की तरमीम की गई है जो प्रस्ताव में सलंग्न नक्शे से भिन्न है। अतः स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए तरमीम दुरस्त करना न्यायोचित है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा आमलसर, तहसील चौहटन के खसरा सं. 1113/406 रकबा 06.00 बीघा गै.मु.श्मशान भूमि की तरमीम तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में प्रस्तावित सलंग्न नक्शा परिशिष्ट "c" अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथराम ॥)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:23 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक– भू.अ. / 2021 / 958

दिनांक 13-7-2021

प्रेषित– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
चौहटन

विषय– राजस्व आवेदन सं. 73 / 21 अनवान ग्राम पंचायत आलमसर जरिये सरपंच बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ. में वास्ते तरमीम दुरस्त करने सम्बन्धी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

प्रसंग – श्रीमानजी का पत्रांक– राजस्व कोर्ट / 2021 / 979 दिनांक 12.07.2021

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व आवेदन सं. 73 / 21 अनवान ग्राम पंचायत आलमसर जरिये सरपंच बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ. में वास्ते तरमीम दुरस्त करने सम्बन्धी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है –

1. श्रीमान जिला कलक्टर, बाडमेर के आदेश क्रमांक – प.12(424)(1) राज / 2015 / 3528 दिनांक 20.04.2017 के द्वारा मौजा आलमसर के खसरा नम्बर 798 / 406 रकबा 118.12 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से रकबा 6.00 बीघा भूमि का सार्वजनिक श्मशान हेतु आवंटन किया गया, जिसके आधार पर ग्राम आलमसर का नामान्तरकरण संख्या 1635 दिनांक 29.05.2017 के द्वारा खसरा नम्बर 1113 / 406 रकबा 6.00 बीघा गै.मु.श्मशान के रूप में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया।
2. आवंटन प्रस्ताव में संलग्न नक्शा परिशिष्ट ए में दर्शाये बरंग आसमानी अनुसार चौहटन बाखासर रोड़ से 11 जरीब दूर खसरा नम्बर 410 की माठ पर 60 गट्ठा X 40 गट्ठा आवंटन हेतु प्रस्तावित किया गया एवं इसी अनुरूप परिशिष्ट बी नामान्तरकरण पुश्त पर नजरी नक्शा खसरा नम्बर 1113 / 406 दर्शाया गया परन्तु लट्ठा ट्रेस में परिशिष्ट सी वर्तमान नक्शा किश्तवार में दर्शित बरंग लाल स्थान पर चौहटन बाखासर रोड़ से 3 जरीब दूर उक्त खसरा नम्बर 1113 / 406 की तरमीम की गई है, जो प्रस्ताव में संलग्न नक्शे से भिन्न है।
3. पटवारी हल्का आलमसर की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान नक्शा परिशिष्ट सी में दर्शाये बरंग आसमानी जो कि आवंटन हेतु प्रस्तावित नक्शे के अनुरूप है, के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 1113 / 406 की तरमीम दुरस्त किया जाना उचित है।

अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

(गणेशाराम)
तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:23 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

श्रीमान तहसीलदार साहब
—चौहटन

विषय :- राजस्व आवेदन सं० 73/21 अन्तर्गत ग्राम पंचायत आलमसर जरिये सरपंच बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन धारा 131, 136 रा० भू० रा० अधिनियम में वास्ते तरमीम दुरूस्ती करनें सम्बंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत निवेदन।

महोदय, उपर्युक्त विषयान्तर्गत ग्राम आलमसर के ख०न० 1113/406 रकबा 6-00 बीघा गै० मु० श्मशान भूमि की तरमीम दुरूस्ती के सम्बंध में प्रतिवेदन बिंदुवार निम्न प्रकार से है —

(1) ग्राम आलमसर के ख०न० 798/406 गै० मु० गोचर में से 6-00 बीघा भूमि श्मशान हेतू आरक्षित करने हेतू ग्राम पंचायत आलमसर द्वारा दिनांक 30.5.15 द्वारा भूमि आवंटन का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसका तात्कालिक हल्का पटवारी आलमसर द्वारा इस सम्बंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें नजरी नक्शा चौहटन धनाऊ सड़क के मध्य बिंदु से 11 जरीब दूर ख०न० 410 के सेडे से 60 गट्ठा × 40 गट्ठा का बरंग आसमानी रंग द्वारा दर्शाया गया था।

(2) श्रीमान जिला कलेक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक प 12 (424) राज/2015/3528 दिनांक 20.4.2017 द्वारा श्मशान भूमि आवंटन का आदेश पारित किया गया था जिसका नामा० सं० 1635 दिनांक 29.5.2017 ग्राम आलमसर में नामा खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया था।

(3) ग्राम आलमसर के लट्ठा ट्रेस में ख०न० 1113/406 की तरमीम चौहटन–धनाऊ सड़क के मध्य बिन्दु से तीन जरीब की दुरी पर तरमीम खींची हुई है ख०न० 1113/406 में कुल भूमि 6-00 बीघा का आवंटन हुआ है जो प्रस्तावित नक्शा में दर्शाये गये नजरी अक्स से भिन्न स्थान पर है जो कि ग्राम आलमसर के नामा सं० 1635 की पुश्त पर दर्शायी गई नजरी तरमीम से बिलकुल भिन्न है।

अत: तथ्यात्मक रिपोर्ट सलग्न वर्तमान नक्शे में दर्शाये बरंग आसमानी अनुसार तरमीम दुरू[illegible] जाना उचित है। सूचना श्रीमान की सेवामें अग्रिम [illegible] हेतु प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:23 IST
Reason: SelfAttested

13/7/2021

भवदीय
(नेन्दलाल)
पटवारी आलमसर

उत्तर

दक्षिण

नक्शा किश्तवार (आंशिक)

मौजा- आलमसर तह० - चौहटन पैमाना 1" = 80 करम

परिशिष्ट "C"

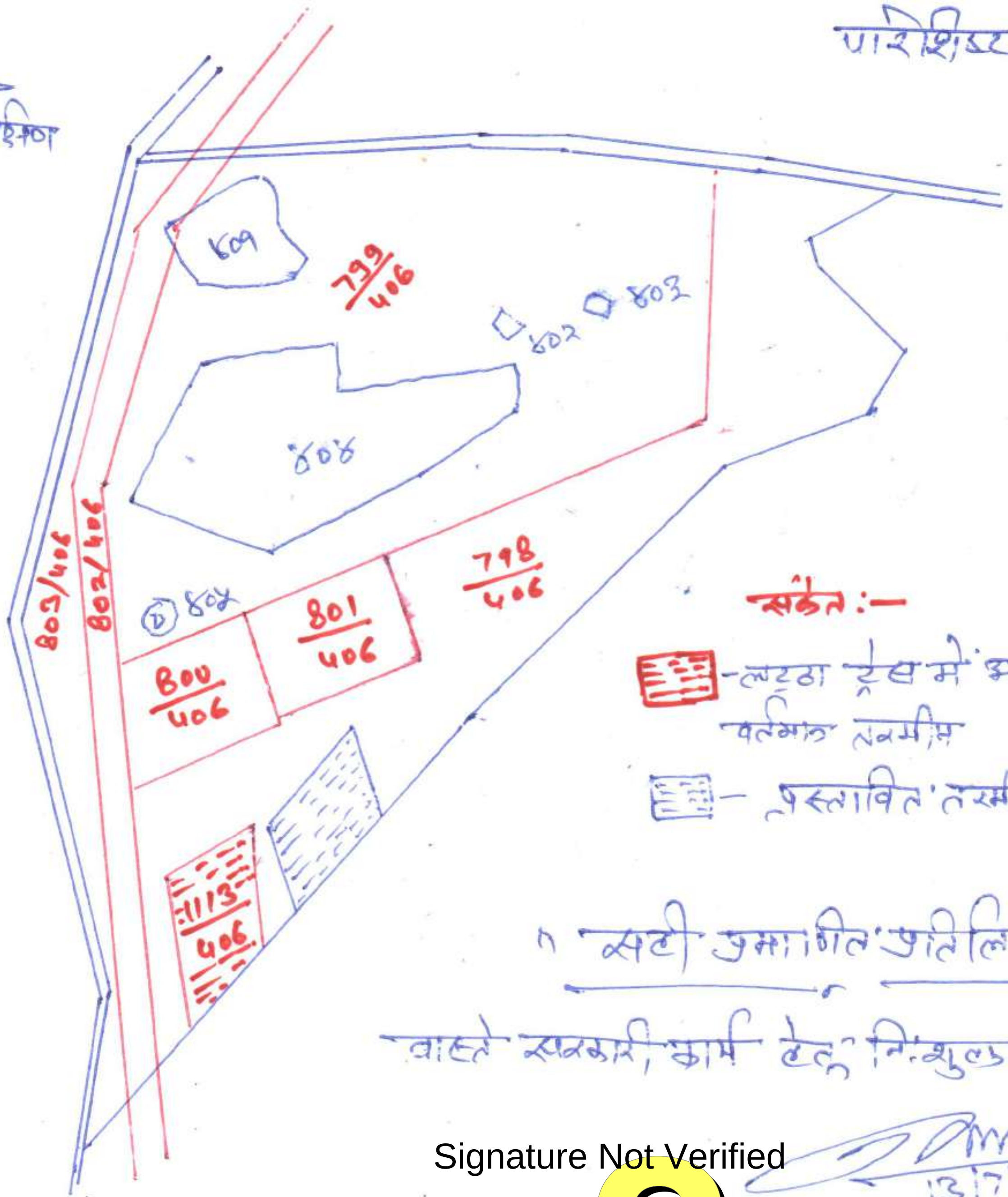

संकेत :-

- लट्ठा ट्रेस में अंकित वर्तमान तरमीम
- प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती

"सही प्रमाणित प्रतिलिपि"

वास्ते सरकारी कार्य हेतु निःशुल्क जारी

13/7/2021
(नंदलाल)
पटवारी आलमसर

13/7/21
तहसीलदार चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:23 IST
Reason: SelfAttested